न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

अपील सं0 24 दिनांक : 19.06.2017

1. नन्दराम पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– अपीलांट

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. आवंटित अधिकारी साहवा लिफ्ट परियोजना रावतसर।

–रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 194 दिनांक 25.07.2011 निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी, अधिवक्ता, अपीलांट

पैरोकार राज।

निर्णय **दिनांकः– 03.01.2018**

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः–

1. यह कि अपीलाधीन इंतकाल आदेश सं. 194 दिनांक 25.07.2011 बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर विधि की अवहेलना में एकपक्षीय तौर से पारित किया गया है जो अपास्तनीय है। प्रमाणित प्रति इंतकाल सं. 194 दिनांक 25.07.2011 सलंग्न अपील है।
2. यह कि रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खाता संख्या 29/33 के ख.न. 66/1 की 3.4020 है0, ख.न. 101/2 की 7.8410 है0 ख.न. 102 की 3.9840 है0, ख.न. 105 की 1.5180 है0, ख.न. 109/1 की 0.7080 है0 भूमि कुल खसरेजात 17.4530 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि यानि 73 बीघा 08 बिस्वा बारानी भूमि थी। उक्त भूमि के जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 में अपीलांट के पिता गोपाल के नाम से ख.न. 109 में 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी जो इ.गा.न.प. साहवा लिफट कि.मी 62.500 पर कैनाल कालोनी में अवार्ड 3.3.98

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

को 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवाप्त हुई जिसका इंतकाल सं. 133 से अमल दरामद हो चुका है जो दिनांक 17.07.1998 है0 को दर्ज व तस्दीक हुआ उसके बाद ख.न. 109/1 में 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि शेष रही शेष भूमि में से एक और इंतकाल दर्ज हुआ जो इंतकाल सं. 194 दिनांक 25.07.2011 हुक्मन तस्दीक हुआ इंतकाल सं. 109/1 की 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि इ.गा.न.प. साहवा लिफट नोहर कालोनी 62.500 के नाम दर्ज हुई ई.न. 194 में हुक्मन पटवारी के केवल आदेश लिखा है जबकि गिरदावर ने दिनांक 28.08.1997 के अवार्ड का हवाला दिया है ई.स. 194 पर कोई आदेश चस्पा नही है एक ही अवार्ड से दिनांक 28.08.1997 को दो दफा इंतकाल दर्ज किया गया है तथा अपीलांट की भूमि दो बार कम कर दी गई तथा अवार्ड एक दफा ही जारी हुआ है इसलिए अपीलाधीन इंतकाल आदेश सं. 194 दिनांक 25.07.2011 विधि की अवहेलना में पारित किया गया है इसलिए अपास्तनीय है।

3. यह कि सहाय आयुक्त उप निवेशन नोहर साहवा मुकान रावतसर द्वारा एक बार ही अवार्ड जारी किया गया था केवल 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि ही अवाप्त की गई थी जिसका इंतकाल सं. 133 अमल दरामद हो चुका है मातहत अदालत ने अपीलाधीन इंतकाल अपीलांट की भूमि अवाप्त किये बिना तथा बिना कोई अवार्ड जारी किये तस्दीक किया है जो अपास्तनीय है।

4. यह कि अपीलाधीन इंतकाल दर्ज व तस्दीक करते समय अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है तथा अपीलांट की 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि ख.न. 109/1 में से गैर कानूनी ढंग से कम करके उक्त भूमि साहवा लिफट कैनाल कालोनी के नाम दर्ज कर दी। जिसमें अपीलांट के खातेदारी कृषि भूमि 1 बीघा 15 बिस्वा गैर कानूनी तरीके से कम कर दी गई जबकि अवाप्त भूमि का एक बार ही अवार्ड जारी हुआ था जिसका इंतकाल सं. 133 अमल दरामद हो चुका था अपीलाधीन इंतकाल बिना किसी अवार्ड के तस्दीक किया गया है जो विधि की अवहेलना में पारित है जो अपास्तनीय है।

5. यह कि अपीलाधीन इंतकाल आदेश का अपीलांट को पूर्व में पता नही था दिनांक 26.05.2016 को पटवारी हल्का से पता चलने पर अपीलांट ने शिविर न्याय आपके द्वारा कैम्प 2013 पाण्डुसर में प्रार्थना पत्र शिविर अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर शिविर अधिकारी व तहसीलदार ने अपीलांट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर शिविर अधिकारी व तहसीलदार ने अपीलांट को आश्वासन दिया कि अपीलाधीन इंतकाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

दुरूस्त कर दिया जावेगा। जिस पर अपीलांट एस.डी.ओ. कोर्ट नोहर व तहसीलदार राजस्व नोहर में चक्कर लगाता रहा है दिनांक 02.06.2017 को तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपीलांट को अपील पेश करने का कहा तब बिना किसी देरी के दिनांक 12.06.2017 को प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का से प्राप्त करके अपील अपीलांट प्रस्तुत कर रहा है जो ज्ञान से बिना किसी देरी के प्रस्तुत है। द्वितीय अपीलांट अनपढ देहाती व्यक्ति है जिसे कानूनी बारिकीयों का ज्ञान नही रहा है तथा अपीलांट की भूमि 1 बिघा 15 बिस्वा गैर कूननी तरीके से कम कर दी जो अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसकी खातेदारी भूमि कम कर दी इसलिए प्रकरण मैरीटोरियस है जिस पर कोई मियाद अवधि लागु नही होती है फिर भी सुविधा की दृष्टि से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

6. यह कि अपीलाधीन इंतकाल पारित करते समय मातहत अदालत ने अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया तथा एक पक्षीय तौर से नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नही। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा गंगोई के खाता सं. 29/33 के ख.न. 66/1 की 3.4020 है0, ख.न. 101/2 की 7.8410 है0, ख.न. 102 की 3.9840 है0, 105 की 1.5180 है0, 109/1 की 0.7080 है0 कुल 17.4530 है0(73.8 बिस्वा) भूमि थी जो जमाबन्दी 59 से 62 में अपीलांट के पिता के नाम से दर्ज थी। जिसमें खसरा नंबर 109 की 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि इ.गा.न.प. के केनाल कालोनी में 1.15 बिस्वा भूमि अवाप्त हो गई जिसका इंतकाल संख्या 133 से अमल दरामद हो चुका है। उक्त खसरा में 4 बिघा 15 बिस्वा भूमि शेष रही जिसका भी इंतकाल संख्या 194 हुकमन दर्ज करते हुए खसरा नंबर 109/1 की 4 बिघा 15 बिस्वा भूमि में से 1 बिघा 15 बिस्वा भूमि साहवा लिफ्ट कालोनी के नाम से दर्ज हो गई। इस प्रकार एक ही अवार्ड से दो दफा इंतकाल दर्ज करके अपीलांट की भूमि दो बार कम कर दी गई जबकि भूमि का अवार्ड एक बार ही जारी हुआ था। इस प्रकार अपीलाधीन इंतकाल संख्या 194 दिनांक 25.07.2011 विधि की अवहेलना में पारित किया गया है। मातहत अदालत ने अपीलाधीन इंतकाल बिना भूमि अवाप्त किये बिना कोई अवार्ड जारी किये पारित किया है व अपीलांट की 1 बिघा 15 बिस्वा भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

गैरकानूनी ढंग से कम कर दी गई। इस संबंध में अपीलांट ने पता चलने पर प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती दिए थे लेकिन दुरूस्ती नही कर अपील करने का कहा गया। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर इंतकाल संख्या 194 दिनांक 25.07.11 रोही मौजा गंगोई खारिज फरमावें।

रेस्पो. सं. 2 उपस्थित है पर कोई बहस नही की ना ही पैरोकार राज ने भी बहस की, केवल यह निवेदन किया कि यह इंतकाल आदेश से दर्ज हुआ है जो सही दर्ज किया गया है। अपील स्वीकार योग्य नही है। खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने बहस सुनी, पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से यह सिद्ध है कि ख.न. 109/1 की 1 बिघा 15 बिस्वा भूमि इंतकाल संख्या 133 व 194 से अलग अलग दर्ज कर रकबा कम किया गया है। इंतकाल संख्या 194 में कोई आदेश चस्पा नही है जिसे स्वयं पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से भी यही सिद्ध होता है कि इंतकाल संख्या 194 पूर्व में जारी अवार्ड के आधार पर ही दर्ज किया गया है। इस प्रकार भूमि एक बार अवाप्त हुई थी लेकिन दो बार इंतकाल दर्ज कर भूमि दो बार कम कर दी गई। अगर अवार्ड दो बार जारी होता तो रेस्पो. सं. 2 द्वितीय अवार्ड की प्रति प्रस्तुत करते। भूमि सन् 1998 में ही अवाप्त हुई थी दोनों इंतकालों में वर्ष 1998 की ही उल्लेख है। उपरोक्त विवेचन से यह सिद्ध है कि इंतकाल संख्या 194 विधि विरूद्ध दर्ज कर तस्दीक किया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर इंतकाल संख्या 194 दिनांक 25.07.2011 अपास्त किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 03.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर